

अनुदान संख्या 84 - वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग
GRANT No. 84-DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	2071,40,00	2393,40,00	2383,91,25	-9,48,75
पूरक	Supplementary	322,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				7,40,00
पूंजीगत:	Capital:				
स्वीकृत-	Voted-		6,60,00	4,00,00	-2,60,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,60,00
<i>टीका और टिप्पणियां</i>			<i>Notes and comments</i>		

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	500.00	680.00	631.13	-48.87
पु.	R.	180.00			
मुख्य शीर्ष "3425"	Major Head "3425"				
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research				
मू.	O.	206640.00	237920.00	237760.12	-159.88
पू.	S.	32020.00			
पु.	R.	-740.00			

(I) 100.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग" के अंतर्गत 500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को अक्टूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में 180.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 680.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, पूल अधिकारियों के कम संख्या में कार्यभार ग्रहण किए जाने के कारण 48.87 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "3425" - "अन्य" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता - अनुसंधान स्कीमें, छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति" - 5500.00 लाख रु. की बचत (20100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वास्तव में अर्हता प्राप्त करने वाले अध्येताओं की तुलना में कम संख्या में अध्येताओं के अध्ययन के लिए आने के कारण हुई।

(खा) "अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता - प्रौद्योगिकी संवर्धन विकास और उपयोगिता कार्यक्रम के लिए सहायता अनुदान" - 1567.08 लाख रु. की बचत (3600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वास्तव में अर्हता प्राप्त करने वाले अध्येताओं की तुलना में कम संख्या में अध्येताओं के अध्ययन के लिए आने और राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (6299.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3425" - "अन्य - वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत फरवरी, 2009 में 11417.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "प्रशासन" - 1903.00 लाख रु.।

(I) Provision of Rs.100.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) Under Major head "3451" - "Secretariat - Department of Scientific and Industrial Research" - the original provision of Rs.500.00 lakhs was augmented to Rs.680.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.180.00 lakhs in October, 2008 and February, 2009 which, however, remained unutilised to the extent of Rs.48.87 lakhs - due to joining of less number of Pool Officers.

(III) Under Major Head "3425" - "Others" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Assistance to Council of Scientific and Industrial Research - Research Schemes, Scholarship and Fellowships" - saving of Rs.5500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.20100.00 lakhs) was due to joining of less number of fellows against the number who actually qualified.

(B) "Assistance to other Scientific Bodies - Grants-in-aid for Technology Promotion Development & Utilisation Programme" - saving of Rs.1567.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3600.00 lakhs) was due to joining of less number of fellows against the number who actually qualified and non-receipts of viable proposals from National Research Development Corporation.

2. The above savings were partly (Rs.6299.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.11417.00 lakhs in February, 2009 under Major Head "3425" - "Others-Assistance to Council of Scientific and Industrial Research" - under the following heads:-

(A) "Administration" - Rs.1903.00 lakhs.

(खा) “राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं” - 3897.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3898.00 लाख रु. था।

(B) “National Laboratories” - Rs.3897.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3898.00 lakhs.

(गा) “बौद्धिक सम्पत्ति प्रौद्योगिकी प्रबंधन” - 499.00 लाख रु.।

(C) “Intellectual Property and Technology Management” - Rs.499.00 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष मुख्य शीर्ष “4059” लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Head Major Head “4059” Capital Outlay on Public Works		
मू.	O.	200.00	
पु.	R.	-200.00	
	

(I) 260.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 200.00 लाख रु. अकेले “कार्यालय भवन - भूमि का अर्जन - डीएसआईआर भवन और अवसंरचना” के अंतर्गत नगर की सीमा के भीतर उपयुक्त भवन स्थान/स्थल उपलब्ध न होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.260.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.200.00 lakhs alone accounted for under “Office Buildings - Acquisition of Land – DSIR Building & Infrastructure” - due to non-availability of appropriate building space/site within city limits.